न्यायालय– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) मंदसौर, म.प्र.

Registration No BA 1297/2021
Filing No BA 4625/2021
CNR No. MP -1401-005418-2021
Filing Date 13-08-2021

अंकित पिता रमेशचन्द्र मालवीय,
आयु 24 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी व पढ़ाई,
निवासी– ग्राम धुंधड़का, तह. दलौदा,
जिला मंदसौर, (म.प्र.) .....आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

म.प्र.शासन,
द्वारा– आरक्षी केन्द्र दलौदा,
जिला मंदसौर (म.प्र.) .....अनावेदक/अभियोगी

16.08.2021

आवेदक/आरोपी अंकित द्वारा श्री अमजद खान अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री नितेश कृष्णन उपस्थित।

आवेदक/आरोपी अंकित के **प्रथम** जमानत अवेदन के संबंध में आरक्षी केंद्र दलौदा, जिला मंदसौर द्वारा अपराध क्र.312/2021, अंतर्गत धारा 354, 354(डी) भा.द.वि. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की केसडायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुत की। संबंधित रिमाण्ड पत्रावली पेश हुई।

आवेदक/आरोपी अंकित के प्रथम जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। प्रस्तुत केसडायरी, प्रतिवेदन एवं संबंधित रिमाण्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रथम जमानत आवेदन की सत्यता के संबंध में राहुल मालवीय पिता रमेशचन्द्र, आयु 27 वर्ष, निवासी ग्राम धुंधड़का, तह. दलौदा, जिला मंदसौर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने आवेदक/आरोपी को अपना भाई होना बताया है तथा तर्क के दौरान बताया है कि, यह आवेदक का **प्रथम** जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों के अनुरूप तर्क किया है कि उसे असत्य अपराध में दिनांक 13.08.

2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जबकि उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। वह निर्दोष है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दण्डनीय नहीं है। वह बी.ए.तृतीय वर्ष का विद्यार्थी होकर वर्तमान में अमेजोन कंपनी में डिलेवरी बॉय के रूप में कार्य कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अभियोग–पत्र प्रस्तुत होने तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की सम्भावना है। आवेदक परिवार में अकेला कमाने वाला है जिससे जेल में रहने से उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो जावेगी। वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी चल रही है जिससे जेल में रहने पर, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। आवेदक आवेदन में दर्शाये पते का स्थाई निवासी होकर उसे कहीं फरार होने की सम्भावना नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उसे योग्य जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

विशेष लोक अभियोजक ने जमानत पर छोड़े जाने पर अभियुक्त के फरार होने एवं साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना बताते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केसडायरी एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, पीड़िता/अभियोक्त्री उम्र 16 वर्ष ने दिनांक 12.08.2021 को आरक्षी केंद्र दलौदा, जिला मंदसौर पर, अपने माता–पिता के साथ जाकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वह कक्षा 11वीं में, प्रयास हायर सेकेंड्री स्कूल ग्राम धुंधड़का में पढ़ाई कर रही है। उसके घर पर किराने की दुकान है जिसे वह कभी कबार चलाती है। उसके घर के पड़ोस में रहने वाले अंकित से उसकी अच्छी दोस्ती है तथा उसकी अंकित से फोन पर पिछले एक साल से बात हो रही थी। अंकित ने उसे बार–बार मैसेज कर परेशान कर दिया तथा गंदी–गंदी फोटो मांगी तो उसने फोटो देने व उससे बात करने से मना कर दिया था, तो घटना दिनांक 01.08.2021 को अंकित उसकी किराने की दुकान पर आया और उससे एक सिगरेट मांगी। वह सिगरेट देने लगी तो अंकित ने बुरी नीयत से उसकी कोहनी के पास से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और बोला कि उससे बात क्यों नहीं करती और बात करना क्यों बन्द कर दी और धमकी दी कि, अगर उससे बात नहीं की तो वह कुछ गलत कर देगा। डर के कारण उसने घटना किसी को नहीं बतायी थी। फिर दो दिन पहले उसने अपने माता–पिता को घटना बतायी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से, आरोपी अंकित के विरूद्ध आरक्षी केंद्र दलौदा, जिला मंदसौर द्वारा अपराध क्र. 312/2021, अंतर्गत धारा 354, 354(डी) भा.द.वि. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत

अपराध पंजीबद्ध कर, प्रकरण विवेचना में लिया जाकर, दिनांक 13.08.2021 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण में विवेचना जारी है।

केसडायरी एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि आवेदक/आरोपी पर, अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ कर ''लैंगिक हमला'' कारित किये जाने का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध आजन्म कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक/आरोपी दिनांक 13.08.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अनुसंधान पूर्ण होकर, अभियोग–पत्र प्रस्तुत होने एवं प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आधार पर आवेदक/आरोपी को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/आरोपी का धारा 439 द.प्र.सं. का प्रथम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी की ओर से इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य 30,000 (तीस हजार रूपये) की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंध–पत्र इस आशय का पेश किया जावे कि, वह नियमित रूप से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा, अनुसंधान में सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्षीगण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, तो उक्त शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जावे।

आदेश की एक प्रति के साथ केसडायरी वापस लौटाई जावे।

आदेश की एक प्रति संबंधित रिमाण्ड पत्रावली में संलग्न की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा कराया जावे।

(जितेन्द्र कुमार बाजोलिया),
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं
विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट)
मन्दसौर (म.प्र.)